

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 694]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2020 — पौष 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 81/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (125).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्र. 5 सन् 2020) की धारा 1 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 नवंबर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंध प्रवृत्त माने जाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (125).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (125), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 81/2020 – State Tax

No. F 10-87/2020/CT/V(125).— In exercise of the powers conferred by Proviso to sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (No. 5 of 2020), the State Government hereby appoints the 10th day of November, 2020, as the date on which the provisions of section 7 of the said Act shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 82/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (126).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तेरहवा संशोधन) नियम 2020 है।
(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये दिनांक 10 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त माने जाएंगे।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 (जिसे इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-
“59. जावक प्रदाय के ब्यौरे देने का प्ररूप और रीति - (i) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 की 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप जीएसटीआर-1 में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।
(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दोनों के ऐसे जावक प्रदाय के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दूसरे माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में “आई एफ एफ” कहा गया है) नियम 26 के अधीन विहित रिति में साम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है।
(3) तिमाही के पहले और दूसरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।
(4) प्ररूप जीएसटीआर - 1 में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दानों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) सभी के बीजकवार ब्यौरे –

- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक प्रदाय और
- (ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ख) सभी के समेकित ब्यौरे –

- (i) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिक प्रदाय और
- (ii) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया दो लाख पचास हजार रुपए तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय

(ग) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किया गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो।

(5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा –

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिक प्रदाय के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हो।”

3. उक्त नियम में नियम 60 के स्थान पर 1 जनवरी 2021 से प्रभावी निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

“60. आवक प्रदाय के अभिनिश्चित ब्यौरे का प्ररूप और रीति – (1) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 1 में या आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (प्राप्तिकर्ता) को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में, प्ररूप जीएसटीआर 4क में और प्ररूप जीएसटीआर 6क में, जैसा भी मामला हो, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) नियम 63 के अधीन किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 5 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग क में को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) नियम 65 के अधीन किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 6 में प्रस्तुत की गयी विवरणी में बीजक के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को प्ररूप जीएसटीआर 2क के भाग ख में को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर – 7 में कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर – 2 क के भाग ग में जिससे कटौती की गयी है को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर – 8 में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा दिए गए स्रोत पर एकत्र किए गए कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप माध्यम से संबंधित व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर – 2 क के भाग ग में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत एकीकृत कर के ब्यौरे साधारण पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर – 2क के भाग घ में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर – 2ख में स्वतः तैयार किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :-

(i) पूर्ववर्ती माह की प्ररूप जीएसटीआर – 1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के ठीक पश्चात् दिन से चालू माह की प्ररूप जीएसटीआर – 1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच में उसके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित प्रदायकर्ता से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे,

(ii) प्ररूप जीएसटीआर – 5 में अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटीआर – 6 में इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपनी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरे और उनके प्रदायकर्ता, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करते हैं, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 1 में या आई एफ एफ का प्रयोग करके प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो :-

(क) तिमाही के प्रथम मास के लिए, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर – 1 प्रस्तुत करने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के प्रथम मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे प्रस्तुत करने की देय तारीख तक के बीच;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, तिमाह के पहले मास के लिए आई एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने के देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के दूसरे मास लिए आई एफ एफ का उपयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख तक बीच;

(ग) तिमाही के तीसरे मास के लिए, तिमाही के दूसरे मास के लिए आई एफ एफ का प्रयोग करते हुए ब्यौरे देने की देय तारीख के ठीक पश्चात् दिन से तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर – 1 को देने की देय तारीख तक के बीच;

(iii) मास में प्रविष्टि के बिल पर माल के आयात या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाई या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रविष्टि के बिल पर लाए गए माल पर संदत एकीकृत कर के ब्यौरे ।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर – 2ख में विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(i) तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आई एफ एफ में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर – 1 में जावक प्रदायों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन, इसमें से जो की पश्चातवर्ती हो;

(ii) तिमाही के तीसरे माह के लिए, धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त माह की जावक प्रदायों को प्ररूप जीएसटीआर – 1 में प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात् दिन से ।

4. उक्त नियम के नियम 61 में उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

“(6) एकीकृत माल और सेवा अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर देने वाला कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर – 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से उत्तरवर्ती माह के 20वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे ।

परन्तु करदाता जिसका पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक का संकलित आवर्त है जिसके कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के माह के लिए उक्त नियम के तहत प्ररूप जीएसटीआर – 3ख में विवरणी, साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त माह के अन्तरवर्ती माह के 22वें दिन तक या उससे पहले प्रस्तुत करेगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 61 के स्थान पर 1 जनवरी, 2021 से निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

“61. विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.- (1) यथास्थिति, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या इनपुट सेवा प्रदाता या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 अथवा धारा 51 या यथास्थिति धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से नीचे यथा विनिर्दिष्ट-

(i) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसी अवधि के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा :

(ii) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को या उसके पहले प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनके कारबार का मूल स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है ।	ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के बाइसवें दिन ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम अथवा इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए इलैक्ट्रॉनिक नगद खाते या इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के विकलन द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा और विवरणी में ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सम्मिलित करेगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तिमाही के प्रत्येक पहले दो मास के उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन तक प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम के निक्षेप द्वारा धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अधीन बकाया कर का संदाय करेगा:

परंतु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें अधिसूचित किए जाएं, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उक्त रकम का निक्षेप करने के लिए नियत तारीख का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर या संघ राज्य कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में निक्षेप करते समय ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति -

(क) तिमाही के पहले मास के लिए, इलैक्ट्रॉनिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ;

(ख) तिमाही के दूसरे मास के लिए, पहले मास के लिए बकाया कर को अपवर्जित करते हुए इलैक्ट्रॉनिक नगद खाते में अतिशेष को हिसाब में ले सकेगा ।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के परंतुक के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षिप्त रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त तिमाही के लिए विवरणी फाइल करते समय विकलित की जाएगी और इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से इलैक्ट्रॉनिक नगद खाते में अतिशेष में पड़ी हुई ऐसी रकम के प्रतिदाय के किसी दावे को केवल उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-03ख में विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा । ”।

6. उक्त नियमों के नियम 61 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“61क. तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चयन की रीति.- (1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगा :

परंतु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,-

(क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या

(ख) इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता है:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकल आवर्त 5 करोड़ रुपए से अधिक होता है, वह उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलैक्ट्रानिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 62 में,-

(i) उपनियम (1) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच(33) दिनांक 7 मार्च, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 87 तारीख 11 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित, के फायदे के उपभोग द्वारा कर का संदाय” का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच(33) दिनांक 7 मार्च, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 87 तारीख 11 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित, के फायदे के उपभोग द्वारा” का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपनियम (4) के स्पष्टीकरण में शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों “या छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 2/2019-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-12/2019/वाक/पांच(33) दिनांक 7 मार्च, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 87 तारीख 11 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित के फायदे के उपभोग द्वारा कर संदाय का चयन” का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

7. प्ररूप जीएसटीआर -1 में, अनुदेश में, क्रमांक 17 के उपरांत, निम्नलिखित अनुदेश डाला जाएगा, यानी:-

“18. धारा 46 के परंतुक द्वारा तहत समय - समय पर जारी अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं के लिए उल्लिखित एचएसएन कोड के अंकों की संख्या को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्दिष्ट करना बाध्य होगा ।

8. प्ररूप -2क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 2ख”

[नियम 60 (7) देखिए]

प्रारूप जीएसटीआर-2ख

स्वतः प्रारूपित आईटीसी विवरण

(प्रारूप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर और आईसगेट से प्राप्त आयात डाटा)

वर्ष	
माह	

1.	जीएसटीआईएन																	
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम																
2.	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो																
2.	(ग)	सृजित किये जाने की तारीख	दिन/महीना/वर्ष समय HH:MM															

3. आईटीसी का उपलब्ध सारांश
(सभी भागों में राशि रुपये में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर ख सारणी	एकीकृत कर (रु.)	केन्द्रीय कर (रु.)	राज्य/संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
क्रेडिट जिसे प्रारूप जीएसटीआर-3ख के तहत लिया जा सकता है							
भाग क उपलब्ध आईटीसी - प्रारूप जीएसटीआर-3ख के संबंधित शीर्षक में क्रेडिट का दावा किया जा सकता है							
I	अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	4(क)(5)					यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।
व्योरा	बी2बी- बीजक						
	बी2बी-डेविट नोट्स						
	बी2बी- बीजक (संशोधन)						
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)						
II	आईएसडी से आंतरिक आपूर्तियां	4(क)(4)					यदि यह धनात्मक (positive) है तो जीएसटीआर-3ख को सारणी 4(क)(4) के अंतर्गत क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत क्रेडिट को वापस कर दिया जाएगा।

व्यौरा	आई एस डी--- बीजक							
	आई एस डी--- बीजक (संशोधन)							
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय	3.1(घ)4(क) (3)						इन आपूर्तियों को कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित करना होगा। क्रेडिट को कर का भुगतान करने पर जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।
व्यौरा	बी2बी- बीजक							
	बी2बी-डेविट नोट्स							
	बी2बी- बीजक (संशोधन)							
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)							
IV	माल का आयात	4(क)(1)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा।
व्यौरा	आईएमपीजी-विदेश से माल का आयात							
	आईएमपीजी -(संशोधन)							
	आईएमजीएसईजैड-विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) से माल का आयात							
	आईएमजीएसईजैड -(संशोधन)							
भाग ख आईटीसी की वापसी- क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख के प्रासंगिक शीर्षक में वापस करना होगा।								
I	अन्य	4(ख)(2)						यदि यह धनात्मक (positive) है तो क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस करना होगा। यदि यह ऋणात्मक (negative) है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकता है वशर्त कि पहले की ऐसी स्थिति में इसको वापस कर दिया गया हो।

व्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
	आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

(सभी खण्डों में राशि रु. में)

क्रम सं.	शीर्षक	जीएसटीआर उब सारणी	एकीकृत केन्द्रीय कर (रु.) कर (रु.)	राज्य/ संघ राज्य कर (रु.)	उपकर (रु.)	परामर्श
क्रेडिट जिसे जीएसटीआर-3ख के तहत नहीं लिया जा सकता है						
भाग क आईटीसी उपलब्ध नहीं						
I	अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हों	लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
व्यौरा	बी2बी- बीजक					
	बी2बी-डेविट नोट्स					
	बी2बी- बीजक (संशोधन)					
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)					
II	आईएसडी से आवक प्रदाय	लागू नहीं				ऐसी क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा।
व्यौरा	आईएसडी--- बीजक					
	आईएसडी---संशोधन-- बीजक					
III	रिवर्स चार्ज के लिए दायी (liable) आवक प्रदाय	3.1(घ)				कर भुगतान के लिए इन आपूर्तियों की घोषणा जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। यद्यपि, उस पर क्रेडिट नहीं होगा।
व्यौरा	बी2बी- बीजक					
	बी2बी-डेविट नोट्स					
	बी2बी- बीजक (संशोधन)					
	बी2बी-डेविट नोट्स (संशोधन)					
भाग ख आईटीसी की वापसी						
I	अन्य	4(ख)(2)				क्रेडिट को जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस किया जाएगा।
व्यौरा	बी2बी-क्रेडिट नोट्स					
	बी2बी-क्रेडिट नोट्स (संशोधन)					

बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज)							
बी2बी-क्रेडिट नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स							
आईएसडी- क्रेडिट नोट्स (संशोधन)							

निर्देश:

1. प्रयुक्त शब्दावली-

- क. आईटीसी – इनपुट टैक्स क्रेडिट
- ख. बी2बी – बिजनेस टू बिजनेस
- ग. आईएसडी – इनपुट्स सर्विस डिस्टीब्यूटर
- घ. आईएमपीजी – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
- ङ. आईएमपीजीएसईजैड – इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजैड

2. महत्वपूर्ण सलाह:

क) प्ररूप जीएसटीआर -2ख एक ऐसा विवरण है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5, और 6 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह एक अचल विवरण है और एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -1, 5 और 6 में से किसी में भी जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, उसे संबंधित आपूर्तिकर्ता के फाइलिंग की तारीख के अगले प्ररूप जीएसटीआर -2ख में दर्शाया जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वो प्ररूप जीएसटीआर -2B का प्रयोग प्ररूप जीएसटीआर -3B में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये करें। हालांकि, अतिरिक्त व्यौरों की स्थिति में, वे संबंधित प्ररूप जीएसटीआर -2क (जिसे वास्तविक समय के आधार अद्यतन किया जाता रहता है) में और अधिक व्यौरों के लिए देख सकते हैं।

ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट को निम्नलिखित स्थितियों में उपलब्ध न हुआ दर्शाया जाएगा:-

- i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम एक्ट, 2017 की धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं होता है।
- ii. उन बीजक या डेबिट नोट में, जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हो और प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में।

हालांकि ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जहां करदाता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध न हो पाता हो और उसे सिस्टम द्वारा भी तैयार न किया गया हो। वहां करदाता को अपना आंकलन स्वतः करना चाहिए और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में वापस कर देना चाहिए।

3. यह देखा जाना चाहिये कि प्ररूप जीएसटीआर -2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये सभी जीएसटीआर-1s, 5s और 6s, हो सकते हैं, जो सामान्यतः संबंधित आपूर्तिकर्ता के द्वारा चुने गए विकल्प (मासिक या त्रैमासिक) के आधार पर दो लगातार जीएसटीआर-1 या आईएफएफ भरने की तारीख के बीच भरे गये हैं। जिस तारीख से संबंधित डाटा लिये गए हों उसे छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम में उल्लिखित है और ऑनलाइन पोर्टल पर “सलाह देखें” के अंतर्गत उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ फरवरी माह के जीएसटीआर-2ख में वे सभी दस्तावेज होंगे जो कि उन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे गये होंगे जिन्होंने अपने जीएसटीआर-1 को मासिक आधार पर भरने का विकल्प चुना होगा, जो कि 12 फरवरी के 00:00 बचे से लेकर 11 मार्च के 23:59 बजे तक का होगा।

4. इसमें आइसगेट सिस्टम से प्राप्त माल के आयात से संबंधित जानकारी भी शामिल होगी जिसमें विशेष आर्थिक जोन इकाईयों से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़े भी शामिल होंगे।

5. यह नोट किया जाना चाहिए कि सेवाओं के आयात पर लगने वाले प्रतिवर्ती प्रदाय कर का प्रत्यय का व्यौरा इस विवरण में

शामिल नहीं किया जाता है और इसे करदाताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3 ख के सारणी 4(क)(2) में दर्शाया जाता रहेगा।

6. सारणी 3 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक उपलब्ध होगा। इसे निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है।

क. भाग क में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में प्राप्त किया गया हो।

ख. भाग ख में उस क्रेडिट का संक्षिप्त विवरण होगा जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3 ख की संबंधित सारणी में वापस किया जाना है।

7. सारणी 4 में उस आईटीसी का संक्षिप्त विवरण होगा जो प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न करने की तारीख तक प्राप्त न किया गया हो। इस सारणी में उपलब्ध क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में क्रेडिट के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। परंतु रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने का दायित्व और क्रेडिट नोट्स की प्राप्ति पर क्रेडिट को वापस करने का दायित्व ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर बना रहेगा।

8. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित रखें कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न किया गया डाटा उनके रिकॉर्ड और बही खाते से मेल खाता हो। करदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि-

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज पर क्रेडिट दोबारा न लें।

ख. जहां भी जरूरी हो वहाँ क्रेडिट को वापस कर दिया जाए।

ग. रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान अवश्य किया जाए।

9. बीजक, क्रेडिट नोट्स, डेविट नोट्स, आईएसडी बीजक, आईएसडी क्रेडिट और डेविट नोट्स, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और इसको डाउनलोड किये जाने की सुविधा भी होगी।

10. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां कर की लागू दर का प्रतिशत भी सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए। जहां ऐसी दर लागू हो वहां बीजक/दस्तावेजों में एक अलग से कॉलम की व्यवस्था होगी।

11. सारणीवार निर्देश

सारणी सं. तथा शीर्षक	निर्देश
सारणी 3, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी - रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों	i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, बी2बी, बीजक और डेविट नोट्स में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।
सारणी 3, भाग क, खण्ड II आईएसडी से आवक प्रदाय	i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. ऋणात्मक क्रेडिट, यदि कोई हो तो, आईएसडी संशोधन-बीजक में संशोधन से हो सकती है। ऐसी क्रेडिट प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) में वापस कर दिया जाएगा।

सारणी 3, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो	i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाता है, जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध हों। iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। कर के भुगतान पर क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(क)(3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है।
सारणी 3, भाग क, खण्ड IV माल का आयात	i. इस खण्ड में आपके द्वारा भुगतान किये गये उस आईजीएसटी का ब्यौरा होता है जो कि विदेश या एसईजैड इकाईयों/डेवलपर्स से किये गये माल के आयात पर बिल ऑफ एन्ट्री और उसके संशोधन में किया गया हो। इस ब्यौरे को आइसगेट सिस्टम से निकटतम वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाता रहता है। ii. इस सारणी में उन आयात से संबंधित डाटा होंगे जो कि आप (जीएसटीआईएन) के द्वारा उस महीने में किया गया हो जिस महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर -2ख को तैयार किया जा रहा हो। iii. आइसगेट की संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख से प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का पात्र बनता है। iv. इस सारणी में यह भी बताया गया है कि किन बिल ऑफ एन्ट्री में संशोधन हुआ है। v. यह जानकारी आइसगेट से प्राप्त डाटा के आधार पर सारणी में दी जाती है। कोरियर आयात जैसे कतिपय आयातों से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है।
सारणी 3, भाग ख, खण्ड I अन्य	i. इस खण्ड में प्राप्त क्रेडिट नोट्स और उसके संशोधन का ब्यौरा होता है जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई होती है और उसको उसने अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में किया होता है। ii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा। यदि यह मूल्य ऋणात्मक है तो क्रेडिट का पुनः दावा किया जा सकेगा बशर्ते कि उसको पहले किसी स्थिति में वापस कर दिया गया हो।
सारणी 4, भाग क, खण्ड I, अन्य सभी आईटीसी-रिवर्स चार्ज से भिन्न आपूर्तियां जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के द्वारा की गई हों	i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होगा (उनसे भिन्न जिनपर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना हो) जिनकी घोषणा कर दी गयी हो और आपके आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्ररूप जीएसटीआर -1 और 5 में जिन्हें दायर कर दिया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।
सारणी 4, भाग क, खण्ड II आईएसडी की आवक प्रदाय	i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है जिसको कि किसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा घोषित किया गया है और उसे प्ररूप जीएसटीआर -6 में दायर किया गया हो।

	ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. यह केवल सूचना मात्र के लिए है और ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख में नहीं लिया जाएगा।
सारणी 4, भाग क, खण्ड III आवक प्रदाय जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी हो	i. इस खण्ड में उन आपूर्तियों का ब्यौरा होता है जो कि रिवर्स चार्ज के प्रति दायी होती हैं, जिनकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता के द्वारा की गई होती है और उसने उसे अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में दायर किया होता है। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. कर के भुगतान के लिए ऐसी आपूर्तियों की घोषणा प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 3.1(घ) में की जाएगी। बहरहाल ऐसी आपूर्तियों पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगी।
सारणी 4, भाग ख, खण्ड I अन्य	i. इस खण्ड में वे सभी आपूर्तियां आती हैं जिनपर क्रेडिट नोट की पावती एवं संशोधन हो और जिसकी घोषणा आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी हो और उसे प्ररूप जीएसटीआर -1 एवं 5 में दायर किया गया हो। ii. इस सारणी में केवल वही आपूर्तियां दर्शायी जाती हैं जिनपर आईटीसी उपलब्ध नहीं होती हों। iii. ऐसी क्रेडिट को प्ररूप जीएसटीआर -3ख की सारणी 4(ख)(2) के अंतर्गत वापस कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (126).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (126), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 82/2020 – State Tax

No. F 10-87/2020/CT/V(126).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rule, they shall be deemed to have come into force on 10th day of November, 2020.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for rule 59, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2021 namely:-

“59. Form and manner of furnishing details of outward supplies.”-(1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in FORM GSTR-1 for the month or the quarter, as the case may be, electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre as may be notified by the Commissioner.

(2) The registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 may furnish the details of such outward supplies of goods or services or both to a registered person, as he may consider necessary, for the first and second months of a quarter, up to a cumulative value of fifty lakh rupees in each of the months, using invoice furnishing facility (hereafter in this notification referred to as the “IFF”) electronically on the common portal, duly authenticated in the manner prescribed under rule 26, from the 1st day of the month succeeding such month till the 13th day of the said month.

(3) The details of outward supplies furnished using the IFF, for the first and second months of a quarter, shall not be furnished in FORM GSTR-1 for the said quarter.

(4) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in FORM GSTR-1 shall include the—

(a) invoice wise details of all -

(i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and

(ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons;

(b) consolidated details of all -

(i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and

(ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;

(c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.

(5) The details of outward supplies of goods or services or both furnished using the IFF shall include the –

(a) invoice wise details of inter-State and intra-State supplies made to the registered persons;

(b) debit and credit notes, if any, issued during the month for such invoices issued previously.”.

3. In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2021, namely:-

“60. Form and manner of ascertaining details of inward supplies.”-(1) The details of outward supplies furnished by the supplier in FORM GSTR-1 or using the IFF shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in Part A of FORM GSTR-2A, in FORM GSTR-4A and in FORM GSTR-6A through the common portal, as the case may be.

(2) The details of invoices furnished by a non-resident taxable person in his return in FORM GSTR-5 under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in Part A of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(3) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in Part B of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(4) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in FORM GSTR-7 shall be made available to the deductee in Part C of FORM GSTR-2A electronically through the common portal

(5) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in FORM GSTR-8 shall be made available to the concerned person in Part C of FORM GSTR 2A electronically through the common portal.

(6) The details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry shall be made available in Part D of FORM GSTR-2A electronically through the common portal.

(7) An auto-drafted statement containing the details of input tax credit shall be made available to the registered person in FORM GSTR-2B, for every month, electronically through the common portal, and shall consist of -

(i) the details of outward supplies furnished by his supplier, other than a supplier required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in FORM GSTR-1, between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the previous month to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the month;

(ii) the details of invoices furnished by a non-resident taxable person in FORM GSTR-5 and details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in FORM GSTR-6 and details of outward supplies furnished by his supplier, required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, in FORM GSTR-1 or using the IFF, as the case may be,-

(a) for the first month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the preceding quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter;

(b) for the second month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing details using the IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing details using the IFF for the second month of the quarter;

(c) for the third month of the quarter, between the day immediately after the due date of furnishing of details using the IFF for the second month of the quarter to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the quarter;

(iii) the details of the integrated tax paid on the import of goods or goods brought in the domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer on a bill of entry in the month.

(8) The Statement in FORM GSTR-2B for every month shall be made available to the registered person,-

(i) for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in the IFF by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, or in FORM GSTR-1 by a registered person, other than those required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39, whichever is later;

(ii) in the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month, in FORM GSTR-1 by a registered person required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39.”

4. In the said rules, in rule 61, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(6) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in FORM GSTR-3B, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the twentieth day of the month succeeding such tax period:

Provided that for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the State of Chhattisgarh the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

5. In the said rules, for rule 61, the following rule shall be substituted with effect from the 1st day of January, 2021, namely: -

“61. Form and manner of furnishing of return.-(1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return in FORM GSTR-3B, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, as specified under -

(i) sub-section (1) of section 39, for each month, or part thereof, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

(ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for each quarter, or part thereof, for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, on or before the date mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Due Date
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose principal place of business is in the State of Chhattisgarh	twenty-second day of the month succeeding such quarter.

(2) Every registered person required to furnish return, under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in the return in FORM GSTR-3B.

(3) Every registered person required to furnish return, every quarter, under clause (ii) of sub-rule (1) shall pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39, for each of the first two months of the quarter, by depositing the said amount in FORM GST PMT-06, by the twenty fifth day of the month succeeding such month:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the due date for depositing the said amount in FORM GST PMT-06, for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner:

Provided also that while making a deposit in FORM GST PMT-06, such a registered person may –

(a) for the first month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger.

(b) for the second month of the quarter, take into account the balance in the electronic cash ledger excluding the tax due for the first month.

(4) The amount deposited by the registered persons under sub-rule (3) above, shall be debited while filing the return for the said quarter in FORM GSTR-3B, and any claim of refund of such amount lying in balance in the electronic cash ledger, if any, out of the amount so deposited shall be permitted only after the return in FORM GSTR-3B for the said quarter has been filed.”.

6. In the said rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely:—

“61A. Manner of opting for furnishing quarterly return.—(1) Every registered person intending to furnish return on a quarterly basis under proviso to sub-section (1) of section 39, shall in accordance with the conditions and restrictions notified in this regard, indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis, electronically, on the common portal, from the 1st day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised:

Provided that where such option has been exercised once, the said registered person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for future tax periods, unless the said registered person,—

(a) becomes ineligible for furnishing the return on a quarterly basis as per the conditions and restrictions notified in this regard; or

(b) opts for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal:

Provided further that a registered person shall not be eligible to opt for furnishing quarterly return in case the last return due on the date of exercising such option has not been furnished.

(2) A registered person, whose aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during the current financial year, shall opt for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal, from the first month of the quarter, succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 crore rupees.

7. In the said rules, in rule 62,

- (i) in sub-rule (1), the words, figures, letters and brackets “or paying tax by availing the benefit of notification of the Notification No. 2/2019-State Tax(Rate), No. F-10-12/2019/CT/V(33), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 87, dated the 11th March, 2019.” shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets “or by availing the benefit of notification of the Notification No. 2/2019-State Tax(Rate), No. F-10-12/2019/CT/V(33), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 87, dated the 11th March, 2019.” shall be omitted;
- (iii) in the explanation to sub-rule (4), the words, figures, letters and brackets “or opting for paying tax by availing the benefit of notification of the Notification No. 2/2019-State Tax(Rate), No. F-10-12/2019/CT/V(33), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 87, dated the 11th March, 2019. shall be omitted;
- (iv) sub-rule (6) shall be omitted.

7. In FORM GSTR-1, in the Instructions, after serial number 17, the following instruction shall be inserted, namely:-

“18. It will be mandatory to specify the number of digits of HSN code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under proviso to rule 46 of the said rules.

8. After FORM-2A, the following FORM shall be inserted, namely: –

“FORM-2B
[See rule 60(7)]
Auto-drafted ITC Statement
(From FORM GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6 and Import data received from ICEGATE)

Year	YYYY-YY
Month	

1. GSTIN	
2(a). Legal name of the registered person	
2(b). Trade name, if any	
2(c). Date of generation	DD/MM/YYYY HH:MM

3. ITC Available Summary

(Amount in ₹ in all sections)

S.no.	Heading	GSTR-3B table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
Credit which may be availed under FORM GSTR-3B							
Part A ITC Available - Credit may be claimed in relevant headings in GSTR-3B							
I	All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	4(A)(5)					If this is positive, credit may be availed under Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B. If this is negative, credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						

II	Inward Supplies from ISD	4(A)(4)					If this is positive, credit may be availed under Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B. If this is negative, credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	ISD - Invoices						
	ISD - Invoices (Amendment)						
III	Inward Supplies liable for reverse charge	3.1(d) 4(A)(3)					These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. Credit may be availed under Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B on payment of tax.
Details	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
IV	Import of Goods	4(A)(1)					If this is positive, credit may be availed under Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B. If this is negative, credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	IMPG - Import of goods from overseas						
	IMPG (Amendment)						
	IMGSEZ - Import of goods from SEZ						
	IMGSEZ (Amendment)						
Part B	ITC Reversal - Credit shall be reversed in relevant headings in GSTR-3B						
I	Others	4(B)(2)					If this is positive, Credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B. If this is negative, then credit may be reclaimed subject to reversal of the same on an earlier instance.
Details	B2B - Credit notes						
	B2B - Credit notes (Amendment)						
	B2B - Credit notes (Reverse charge)						
	B2B - Credit notes (Reverse charge) (Amendment)						
	ISD - Credit notes						
	ISD - Credit notes (Amendment)						

4. ITC Not Available Summary

(Amount in ₹ in all sections)

(Amount in ₹ in all sections)							
S.no.	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
Credit which may not be availed under FORM GSTR-3B							
Part A ITC Not Available							
I	All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	NA					Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B
Details	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
II	Inward Supplies from ISD	NA					Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B
Details	ISD - Invoices						
	ISD Amendment - Invoices						
III	Inward Supplies liable for reverse charge	3.1(d)					These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. However, credit will not be available on the same.
Details	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
Part B ITC Reversal							
I	Others	4(B)(2)					Credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	B2B - Credit notes						
	B2B - Credit notes (Amendment)						
	B2B - Credit notes (Reverse charge)						
	B2B - Credit notes (Reverse charge) (Amendment)						
	ISD - Credit notes						
	ISD - Credit notes (Amendment)						

Instructions:

1. Terms Used :-

- a. ITC – Input tax credit
- b. B2B – Business to Business
- c. ISD – Input service distributor
- d. IMPG – Import of goods
- e. IMPGSEZ – Import of goods from SEZ

2. Important Advisory:

- a) FORM GSTR-2B is a statement which has been generated on the basis of the information furnished by your suppliers in their respective FORMS GSTR-1, 5 and 6. It is a static statement and will be made available once a month. The documents filed by the supplier in any FORMS GSTR-1, 5 and 6 would reflect in the next open FORM GSTR-2B of the recipient irrespective of supplier's date of filing. Taxpayers are advised to refer FORM GSTR-2B for availing credit in FORM GSTR-3B. However, in case for additional details, they may refer to their respective FORM GSTR-2A (which is updated on near real time basis) for more details.
- b) Input tax credit shall be indicated to be non-available in the following scenarios: -
 - i. Invoice or debit note for supply of goods or services or both where the recipient is not entitled to input tax credit as per the provisions of sub-section (4) of Section 16 of Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017.
 - ii. Invoice or debit note where the Supplier (GSTIN) and place of supply are in the same State while recipient is in another State.

However, there may be other scenarios for which input tax credit may not be available to the taxpayers and the same has not been generated by the system. Taxpayers, should self-assess and reverse such credit in their FORM GSTR-3B.

3. It may be noted that FORM GSTR-2B will consist of all the FORM GSTR-1s, 5s and 6s being filed by your suppliers, generally between the due dates of filing of two consequent GSTR-1 or furnishing of IFFs, based on the filing option (monthly or quarterly) as chosen by the corresponding supplier. The dates for which the relevant data has been extracted is specified in the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules and is also available under the "View Advisory" tab on the online portal. For example, FORM GSTR-2B for the month of February will consist of all the documents filed by suppliers who choose to file their FORM GSTR-1 monthly from 00:00 hours on 12th February to 23:59 hours on 11th March.
4. It also contains information on imports of goods from the ICEGATE system including data on imports from Special Economic Zones Units / Developers.
5. It may be noted that reverse charge credit on import of services is not part of this statement and will be continued to be entered by taxpayers in Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B.
6. Table 3 captures the summary of ITC available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. It is divided into following two parts:
 - A. Part A captures the summary of credit that may be availed in relevant tables of FORM GSTR-3B.
 - B. Part B captures the summary of credit that shall be reversed in relevant table of FORM GSTR-3B.
7. Table 4 captures the summary of ITC not available as on the date of generation of FORM GSTR-2B. Credit available in this table shall not be availed as credit in FORM GSTR-3B. However, the liability to pay tax on reverse charge basis and the liability to reverse credit on receipt of credit notes continues for such supplies.
8. Taxpayers are advised to ensure that the data generated in FORM GSTR-2B is reconciled with their own records and books of accounts. Tax payers shall ensure that
 - a. No credit shall be taken twice for any document under any circumstances.
 - b. Credit shall be reversed wherever necessary.
 - c. Tax on reverse charge basis shall be paid.

9. Details of invoices, credit notes, debit notes, ISD invoices, ISD credit and debit notes, bill of entries etc. will also be made available online and through download facility.

10. There may be scenarios where a percentage of the applicable rate of tax rate may be notified by the Government. A separate column will be provided for invoices / documents where such rate is applicable.

11. Table wise instructions:

Table No. and Heading	Instructions
Table 3 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis), which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. This table displays only the supplies on which input tax credit is available. iii. Negative credit, if any may arise due to amendment in B2B- Invoices and B2B - Debit notes. Such credit shall be reversed in Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Table 3 Part A Section II Inward Supplies from ISD	i. This section consists of the details of supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6. ii. This table displays only the supplies on which ITC is available. iii. Negative credit, if any, may arise due to amendment in ISD Amendments - Invoices. Such credit shall be reversed in table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Table 3 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	i. This section consists of the details of supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1. ii. This table provides only the supplies on which ITC is available. iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. Credit may be availed under Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B on payment of tax.
Table 3 Part A Section IV Import of Goods	i. This section provides the details of IGST paid by you on import of goods from overseas and SEZ units / developers on bill of entry and amendment thereof. These details are updated on near real time basis from the ICEGATE system. ii. This table shall consist of data on the imports made by you (GSTIN) in the month for which FORM GSTR-2B is being generated for. iii. The ICEGATE reference date is the date from which the recipient is eligible to take input tax credit. iv. The table also provides if the Bill of entry was amended. v. Information is provided in the tables based on data received from ICEGATE. Information on certain imports such as courier imports may not be available.
Table 3 Part B Section I Others	i. This section consists of the details of credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5 ii. Such credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B. If this value is negative, then credit may be reclaimed subject to reversal of the same on an earlier instance.
Table 4 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis), which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5. ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available. iii. This is for information only and such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B.
Table 4 Part A Section II Inward Supplies from ISD	i. This section consists of the details supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6. ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available. iii. This is for information only and such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B.
Table 4 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	i. This section consists of the details of supplies liable for reverse charge, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1. ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available. iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. However, credit will not be available on such supplies.

Table 4 Part B Section I Others	i. This section consists details the credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5 ii. This table provides only the credit notes on which ITC is not available. iii. Such credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
---------------------------------------	--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 83/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (127).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 74/20 20-राज्य कर, क्रमांक एफ 10-81/2020/वाक/पांच(111), दिनांक : 28-10-2020, 75/2020-राज्य कर, क्रमांक एफ 10-81/2020/वाक/पांच(112), दिनांक : 28-10-2020, अधिसूचनाओं का अधिकांश करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करता है :

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 को प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (127).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (127), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 83/2020 – State Tax

No. F 10- 87/2020/CT/V(127).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Chhattisgarh Government in the Commercial Tax Department No. 74/2020-State Tax, No. F-10-81/2020/CT/V(111), dated 28.10.2020 and the notification of the Chhattisgarh Government in the Commercial Tax Department No. 75/2020-State Tax, No. F-10-81/2020/CT/V(112), dated 28-10-2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 84/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (128).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध कर का संदाय करेंगे, अर्थात्:-

- (i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध विवरणी दाखिल की जा चुकी है;
- (ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्टूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमों के नियम 61क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:-

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	त्रैमासिक विवरणी
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है।	मासिक विवरणी
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है।	त्रैमासिक विवरणी

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसंबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं।

(5) यह अधिसूचना 10 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (128).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (128), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 84/2020 – State Tax

No. F 10-87/2020/CT/V(128).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 39 read with proviso to sub-section (7) of section 39 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, namely:—

(i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished:

(ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.

(2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.

(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30th November, 2020, it shall be deemed that they have

opted under sub-rule (1) of rule 61A of the said rules for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table:-

TABLE

Sl. No.	Class of registered person	Deemed Option
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on quarterly basis in the current financial year	Quarterly return
2.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished FORM GSTR-1 on monthly basis in the current financial year	Monthly return
3.	Registered persons having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees and up to 5 crore rupees in the preceding financial year	Quarterly return

(4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.

(5) This notification shall be deemed to have come in to force on 10th November 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

संख्या 85/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (129).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्द कर का संदाय कर सकेंगे, -

- जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैतीस प्रतिशत; या
- जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलैक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां –

- त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है;
- त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलैक्ट्रानिक नकद लेजर या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, “पूर्ण कर अवधि” पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (129). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (129), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 85/2020 – State Tax

No. F 10 -87/2020/CT/V(129).— In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

(i) thirty five percent. of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or

(ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

- (a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;
- (b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation- For the purpose of this notification, the expression “a complete tax period” means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 86/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (130).— छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 की धारा 61 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति यों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 76/2020-राज्य कर, क्रमांक एफ 10-81/2020/वाक/पांच(113) दिनांक 28-10-2020 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करती है।

2. यह अधिसूचना 10 नवम्बर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (130).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (130), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 86/2020 – State Tax

No. F 10-87/2020/CT/V(130).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations on the Council, hereby rescinds the notification of the Chhattisgarh Government in the Commercial Tax Department Notification No. No. 76/2020-State Tax, No. F 10-81/2020/CT/V(113) dated 28-10-2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 10th November 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 87/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (131).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 की 7) की धारा 168 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, राज्य सरकार, जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को

पारेषित मालो या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालो के संबंध में प्ररूप जीएसटीआईटीसी-04 में घोषणा करने हेतु समय सीमा एतद्वारा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. इस अधिसूचना को अक्टूबर, 2020 के 25वें दिन से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (131).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (131), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 87/2020 – State Tax

No. F 10-87/2020/CT/V(131).— In pursuance of section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, hereby extends the time limit for furnishing the declaration in FORM GST ITC-04, in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker, during the period from July, 2020 to September, 2020 till the 30th day of November, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 25th day of October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अधिसूचना
संख्या 88/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (132).— छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2020- राज्य कर क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(37) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द “पांच सौ करोड़ रुपये” के स्थान पर शब्द “एक सौ करोड़ रुपये” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (132).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-87/2020/वाक/पांच (132), दिनांक 22-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 22nd December 2020

NOTIFICATION
No. 88/2020 – State Tax

No. F 10- 87/2020/CT/V(132).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 13/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(37), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of January, 2021, for the words “five hundred crore rupees”, the words “one hundred crore rupees” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.